प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ दिनांक 19.07.2024

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना नवाबगंज के उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हमराह का0 नवीन यादव, का0 दीपक तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग एवं पेण्डिंग विवेचना के दौरान, केश नं0 41/18 धारा 147,148,149,342,323,504,506 भादवि से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्त, 01. लालबहादुर पुत्र भगवानदीन 02. राजकुमार पुत्र लालबहादुर निवासी बरई का पुरबा बरियावां थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. लालबहादुर पुत्र भगवानदीन निवासी बरई का पुरबा बरियावां थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

02. राजकुमार पुत्र लालबहादुर निवासी बरई का पुरबा बरियावां थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हमराह का0 नवीन यादव, का0 दीपक तिवारी थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

01 वारण्टी अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देल्हूपुर के उ0नि0 गौतम बनर्जी मय हमराह म0उ0नि0 आरती कुमार का0 यनेन्द्र कुमार सागर द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0अ0सं0 48/17 धारा 498ए, 323, 504, 506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना मान्धाता से संबंधित वारण्टी अभियुक्त 01. गुलजार अली पुत्र अब्दुल रफीक व अभियुक्ता 02. छोटी पुत्री अब्दुल रफीक नि0ग्राम शेखनपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. गुलजार अली पुत्र अब्दुल रफीक नि0ग्राम शेखनपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

02. छोटी पुत्री अब्दुल रफीक नि0ग्राम शेखनपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 गौतम बनर्जी मय हमराह म0उ0नि0 आरती कुमारी का0 यनेन्द्र कुमार सागर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डा0 अनिल कुमार के द्वारा शातिर अभ्यस्त व सक्रिय गिरोहबन्द अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

जनपद में पुलिस अधीक्षक का अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस नीति

अभियुक्त बृजेन्द्र यादव उपरोक्त लूट डकैती, गैंगेस्टर जैसे जघन्य अपराधों में संल्पित था

चेकिंग के दौरान थाना महेशगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत टेण्डा से मछेहा रोड़ पर पुलिया के पास से 01 अभियुक्त गिरफ्तार,

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व लूट के मुकदमें के 4000/- रुपये बरामद

अभियुक्त बृजेन्द्र यादव उपरोक्त थाना महेशगंज के लूट के मुकदमें 94/2024 धारा 392 भादवि में था वांछित ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, प्रतापगढ़ श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्रवण कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 18.07.2024 को समय 23ः55 बजे उ0नि0 देवनारायण राम मय हमराह हे0का0 रामनरेश, का0 विपिन, का0 चन्दन द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग के दौरान क्षेत्रान्तर्गत टेण्डा से मछेहा रोड़ पर पुलिया के पास से 01 अभियुक्त बृजेन्द्र यादव पुत्र दानपाल यादव नि0ग्राम मादामई थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 पल्सर मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

अभियुक्त बृजेन्द्र यादव ने थाना महेशगंज क्षेत्रांतर्गत गोपाल पाण्डेय का पुरवा में एक बाग के पास एक गैस डिलीवरी वैन चालक को इसी तमंचे को दिखाकर अपने 02 साथियों के साथ 27 हजार रुपये छीने थे। छीने हुए पैसे के

बंटवारा में जो पैसे मेरे हिस्से में आये थे उन्हीं बचे हुए पैसों में 4000 रुपये बचे हैं ये वही रुपये हैं। थाना महेशगंज में इस संबंध में मु0अ0सं0 94/2020 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त बृजेन्द्र यादव उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना महेशगंज में मु0अ0सं0 151/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- बृजेन्द्र यादव पुत्र दानपाल यादव नि0ग्राम मादामई थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त बृजेन्द्र यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01 मु0अ0सं0 319/2020 धारा 399, 402, 411, 489बी, 489सी भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

02 मु0अ0सं0 300/2022 धारा 25/3 आयुध अधिनियम थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

03 मु0अ0सं0 691/2021 धारा 143, 286 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

04 मु0अ0सं0 154/2020 धारा 120बी, 394, 411 भादवि थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

05 मु0अ0सं0 159/2020 धारा 392, 411, 506 भादवि थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

06 मु0अ0सं0 160/2020 धारा 392, 411 भादवि थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

07 मु0अ0सं0 187/2019 धारा 489बी, 489सी भादवि थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

08 मु0अ0सं0 195/2020 धारा 41, 411, 467, 468, 471 भादवि थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

09 मु0अ0सं0 196/2020 धारा 3/25 आम्र्स एक्ट थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

10 मु0अ0सं0 296/2020 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

11 मु0अ0सं0 296/2020 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

12. मु0अ0सं0 151/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर बरामद।

01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद।

4000/- रुपये लूट के बरामद।

घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

01. उ0नि0 देवनारायण राम थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

02. हे0का0 रामनरेश थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

03. का0 विपिन थाना थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

04. का0 चन्दन थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस ने डकैती से संबंधित 01 अन्य अभियुक्ता को किया गिरफ्तार, पूर्व में 02 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है-

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

उक्त प्रकरण के संबंध में पूर्व में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है

अभियुक्ता नीलम उपरोक्त ग्राम ग्यासपुर में डकैती जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त

अभियुक्ता नीलम उपरोक्त को पुलिस ऑफिस गेट, प्रतापगढ़ के पास से किया गया गिरफ्तार

अभियुक्ता नीलम उपरोक्त के कब्जे से उक्त अभियोग से संबंधित के 3000/- रुपये बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.07.2024 की रात्रि थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ग्यासपुर में वादी छोटेलाल गौतम पुत्र शिवबालक गौतम निवासी ग्यासपुर थाना कुण्डा, प्रतापगढ़ के घर में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुसकर वहां पर रखा शर्ट से 3000/- रुपये एवं मोबाइल तथा पेटी में रखे कपड़े गेहूं- चावल की बोरी चोरी करके ले जाने लगे उसी समय आवाज आने पर नींद खुल गई, शोर मचाने एवं विरोध करने पर मेरे बेटा, बेटियों को लकड़ी, सरिया से मारना पीटना एवं

मार पीट कर फायर करके दहशत फैलाते हुए भाग जाना, उनके द्वारा फायर करते समय मेरी बेटी के पैर में गोली लग जाने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 191/2024 धारा 310(2)/311/317(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, प्रतापगढ़ संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा अजीत कुमार सिंह के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 गिरीशधर दुबे मय हमराह म0का0 दीपांजलि गुप्ता, म0का0 रश्मि सोनकर, का0 जाहर सिंह, चालक का0 प्रेमवीर सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान दिनांक 18.07.2024 को समय लगभग 16.30 बजे मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 191/2024 धारा 310(2)/311/317(3) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्ता नीलम पाण्डेय पत्नी स्व0 सुनील पाण्डेय पुत्री स्व0 अम्बिका प्रसाद पाण्डेय उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम जमलामऊ थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ हालपता दशवत का पुरवा थाना नबाबगंज जनपद प्रयागराज को पुलिस ऑफिस गेट, प्रतापगढ़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

उक्त प्रकरण के संबंध में पूर्व में दिनांक 11.07.2024 को 02 अभियुक्तो, 01. शुभम दुबे उम्र 24 वर्ष पुत्र कमलेश कुमार दुबे निवासी बन्तरी रैयापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ 02. चण्डिका प्रसाद शुक्ला उम्र 26 वर्ष पुत्र स्व0 ज्ञान चन्द्र शुकला निवासी तिलौरी पूरे शुक्लान कस्बा व थाना कुण्डा प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्ता नीलम पाण्डेय उपरोक्त से बरामद 3000/- रुपये के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि ग्राम गयासपुर की लूटपाट में प्रत्येक के हिस्से में 05 हजार रुपया मिला था। मेरे हिस्से के 02 हजार रुपया खर्च हो गया है तथा 3000 रुपया बचा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अभियुक्ता नीलम पाण्डेय पत्नी स्व0 सुनील पाण्डेय पुत्री स्व0 अम्बिका प्रसाद पाण्डेय उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम जमलामऊ थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ हालपता दशवत का पुरवा थाना नबाबगंज जनपद प्रयागराज।

बरामदगी-

उक्त मुकदमे से संबंधित कुल 3000/- रूपये नगद बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

उ0नि0 गिरीशधर दुबे मय हमराह म0का0 दीपांजलि गुप्ता, म0का0 रश्मि सोनकर, का0 जाहर सिंह, चालक का0 का0 प्रेमवीर सिंह थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा मारपीट करना, गाली-गलौज करना, धमकी देने, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट से संबंधि 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत रामलाल पेट्रोल पम्प के पास से किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कुण्डा के उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराह का0 मोरध्वज द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर, दिनांक 19.07.2024 को धारा 323, 504, 506, 376AB भादवि व 5M/6 पॉक्सो एक्ट थाना कुण्डा, प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त भोले उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्र शिवधन निवासी कबडियागंज थाना कुण्डा, प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र कुण्डा के रामलाल पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

भोले उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्र शिवधन निवासी कबडियागंज थाना कुण्डा, प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराह का0 मोरध्वज थाना कुण्डा प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

अपहरण कर गाली- गलौज करना, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देने के सं ंबंध में 01 बाल अपचारी गिरफ्तार।

बाल अपचारी को थाना क्षेत्र के तिलौरी मोड़ बिहार रोड़ के पास से किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.05.2024 को थानाक्षेत्र कुण्डा के समापुर में प्राथी की पुत्री का अपहरण करने के संबंध में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा में धारा 366, 323,504, 506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क, 3(2)5 एससी/ एसटी का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कुण्डा के उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराह का0 मोरध्वज द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर, दिनांक 19.07.2024 को धारा 366, 323, 504, 506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क, 3(2)5 एससी/ एसटी थाना कुण्डा, प्रतापगढ़ से संबंधित 01 बाल अपचारी को थाना क्षेत्र कुण्डा के तिलौरी मोड़ बिहार रोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01 बाल अपचारी

पुलिस टीम-

उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराह का0 मोरध्वज थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महेशगंज के उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह का0 रामवीर सिंह, का0 विनय कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, अ0सं0 30/17 धारा 307,302,34,325,308 भादवि थाना महेशगंज से संबंधित वारण्टी अभियुक्त शिवकुमार निर्मल पुत्र शंकरलाल निर्मल निवासी पुरमई सुल्तानपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. शिवकुमार निर्मल पुत्र शंकरलाल निर्मल निवासी पुरमई सुल्तानपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह का0 रामवीर सिंह, का0 विनय कुमार थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

हत्या का प्रयास करने/ सरकारी कार्य में बांधा डालने के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत ढकवा पट्टी रोड़ नहर के पास से गिरफ्तार

दिनांक 16.07.2024 को रात्रि में पट्टी की तरफ से आसपुर देवसरा मार्ग पर तेजी से बढ़ रहे एक पिकअप वाहन लो़डर सवार 05 व्यक्ति अज्ञात द्वारा एक मोटरसाइकिल व एक स्विफ्ट डिजायर वाहन को जानबूझकर 2-3 बार बैक करके टक्कर मारने की कोशिश करना व आगे चलकर दाऊदपुर ढकवा मार्ग पर पीआरवी 2019 को जानबूझकर गाड़ी बैक करके टक्कर मारी गयी जिससे पीआरवी गाड़ी आगे से क्षतिग्रस्त हो गयी।

दिनांक 17.07.2024 को पिकअप वाहन सवार अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध थाना आसपुर देवसरा में किया गया अभियोग पंजीकृत

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा उक्त की घटना का शीघ्र अनावरण/अभियुक्तों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी हेतु दिये गये थे सख्त निर्देश

आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना में संलिप्त 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बोलेरो वाहन सीज

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.07.2024 को रात्रि में पट्टी की तरफ से आसपुर देवसरा मार्ग पर तेजी से बढ़ रहे एक पिकअप वाहन लो़डर सवार 05 व्यक्ति अज्ञात द्वारा एक मोटरसाइकिल व एक स्विफ्ट डिजायर वाहन को जानबूझकर 2-3 बार बैक करके टक्कर मारने की कोशिश करना व आगे चलकर दाऊदपुर ढकवा मार्ग पर पीआरवी 2019 को जानबूझकर गाड़ी बैक करके टक्कर मारी गयी जिससे पीआरवी गाड़ी आगे से क्षतिग्रस्त हो जाने के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0-199/24 धारा 191(2),190,109,132,324,3(5) बीएनएस बनाम पिकअप चालक व सवार 05 अज्ञात अभियुक्तों का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिये गये सख्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पुर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के कुशल पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 19.07.2024 को उ0नि0 श्री प्रभात कुमार सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग व विवेचना के दौरान मु0अ0सं0-199/24 धारा 191(2),190,109, 132,324,3(5) बीएनएस के संबंध में मुखबिर की इस सूचना पर की ढकवा पट्टी रोड़ नहर के पास 01 बोलेरो के साथ उसका मालिक खड़ा है जो घटना में शामिल था। सूचना

पाकर तत्काल ढकवा पट्टी रोड़ नहर के पास से प्रकाश में आया 01 अभियुक्त आकाश गुप्ता पुत्र सुरेन्द्र गुप्ता उम्र 22 वर्ष निवासी सत्तनपुर रईसीपुर थाना जनसा जनपद वाराणसी को 01 बोलेरो न0- यूपी 67 एएच 0051 के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामद वाहन को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि हम लोगों से गलती हो गयी थी दिनांक 16.07.2024 को हम लोग यह सोचकर निकले थे कोई भी हमारी गाड़ी का पीछा करता है तो उसके ऊपर गाड़ी चढाकर जान से मार दिया जायेगा। हमारे सहयोगी गोविन्द गुप्ता जो मेरी मौसी का लड़का है वह इस घटना में शामिल था जिसकी यह बरामद गाड़ी है। मैं पिकअप लोडर महिन्द्रा मैक्स UP65PT0718 का पंजीकृत स्वामी हूँ और इस गाड़ी से भूपियामऊ के पास से अक्सर जानवर ले जाने का काम करता हूँ। मेरे साथ मेरे मौसी का दामाद राजेश गुप्ता पुत्र रमेश गुप्ता नि0 हरिहरपुर थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर तथा मेरा मौसेरा भाई गोविन्द गुप्ता पुत्र दामोदर गुप्ता नि0 गंजख्वाजा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली जानवर लाने की बातचीत करके दिन निश्चित करते है और फिर गोलू यादव नि0 लौडा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली और गब्बर खाँ जो एम.पी. का रहने वाला है उससे वार्ता कर निश्चित दिन को हमलोग भूपियामऊ आते है और वहाँ गुड्डू, सहनवाज जानवर लोड करने में मदद करते है और वहाँ से हम लोग चन्दौली ले जाते हैं।

दिनांक 16.07.2024 को हम पाँचों लोग उसी लोडर से भूपियामऊ गये थे। वहाँ से जानवर लादकर आ रहे थे कि कुछ लोग हमारा पीछा करने लगे उसी में एक स्वीफ्ट डिजायर गाड़ी हमें पट्टी के पास मिली तो हमलोग को लगा कि वह हमारा पीछा कर रही है तो उसको डराने के लिये उसकी गाड़ी में टक्कर मारना चाहा लेकिन वह बचकर भाग गया। फिर आगे एक बाईक वाला खड़ा था जिस पर तीन लोग बैठे थे उससे हमने जौनपुर जाने का रास्ता पूछा जब उसने बता दिया तो हम लोग उस रास्ते चल दिये लेकिन पीछे मुड़कर देखे तो वह आसपुर देवसरा की तरफ हमारे पीछे पीछे मुड़ा शायद हमारा पीछा कर रहा था तो उसको जान से मारने के लिये गोलू जो गाड़ी चला रहा था लोडर को रोका कहा कि लग रहा है कि पुलिस को खबर किसी ने किया है और ये सब वही खबर देने के लिये पीछे पीछे चल रहे है तो सब ने यही कहा कि एकान्त जगह है इनको आगे जाने दो और ठोक दो ताकि ये यही मर जाय क्योकि उस समय करीब 1.30 का समय हो रहा था लेकिन वे सब या तो समझ गये या उनकी किस्मत अच्छी थी कि वे बच गये साहब लोडेड गाड़ी चलाने में गोलू यादव काफी माहिर है और मेरा मौसेरा भाई गोविन्द गुप्ता भी काफी तेज गाड़ी चलाता है उसके बाद सब ने यही कहा कि अब जो भी पीछा करता दिखाई दे उसे कुचल दो नहीं तो हमलोग पकड़े जायेगे।

फिर काफी तेजी से गोलू ने गाड़ी भगाया तो रास्ते में पुलिस की रात्रि गस्त की पीआरवी वाहन खड़ी मिली हम लोग तेजी से उसे ओवरटेक कर आगे भागते जा रहे थे कि पीआरवी वाले भी तेजी से हमारा पीछा करने लगे तो हम लोग ने कहा कि गाड़ी बीच में रोक लो जैसे पीआरवी वाले नजदीक आते है तेजी से उन्हे ठोक दो और जैसे ही बाहर निकले वैसे उनके उपर गाड़ी चढ़ा कर मार डालो और इसी प्लान के तहत गोलू ने गाड़ी सड़क पर रोक दी थोड़ी

दूरी पर जैसे ही पीआरवी की गाड़ी रुकी तेजी से बैक गेयर लगाकर अपनी गाड़ी से पीआरवी की गाड़ी में टक्कर मार दिये फिर अपनी गाड़ी हमलोग आगे किये तो पीआरवी वाले नीचे उतर गये तो दूबारा उनको कुचलने के लिये फिर तेजी से बैक करके उनके उपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिक किये लेकन वह इधर उधर हट गये और दूबारा गाड़ी में ही टक्कर हो गयी हमलोग फिर पकड़े जाने की डर से तेजी से भागे कि हाईवे पे चढ़ जायेगे तो फिर हमलोग निकल जायेगे और यही हुआ। हमारा मौसेरा भाई हमलोगो का सरगना है। उसके ऊपर कई मुकदमें है और कई बार जेल भी गया है। गोलू यादव के विरुद्ध थाना सिगरारा में गोहत्या का मुकदमा पंजीकृत है जिसमें वह जेल गया था मै अभी कभी भी जेल नही गया हूँ मैं हर बार भाग जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आकाश गुप्ता पुत्र सुरेन्द्र गुप्ता उम्र 22 वर्ष निवासी सत्तनपुर रईसीपुर थाना जनसा जनपद वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

उ0नि0 श्री प्रभात कुमार सिंह मय हमराह का0 राजेन्द्र गर्ग, का0 विरेन्द्र यादव थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।